प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना – 800 001
Office of The Pr. Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna – 800 001
Telephone: 0612- 2221226,
Email:agaubihar@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या-पी.पी.जी/PAG (Au)/Bifurcation/2025-26/C-14 दिनांक: 20-04-2026

कार्यालय आदेश
Office Order

विषय- लेखापरीक्षा-I और लेखापरीक्षा-II कार्यालयों, बिहार के विभाजन का क्रियान्वयन
Subject : Operationalization of the bifurcation of offices of Audit-I and Audit-II, Bihar

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I), बिहार, पटना तथा प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), बिहार, पटना कार्यालयों में विभाजित किए जाने के फलस्वरूप, लेखापरीक्षा -I और लेखापरीक्षा -II के बीच अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कार्यालय आदेश संख्या Admn.I (Audit)/office restructuring/2025-26/C-410 दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से की गई थी। उक्त कार्यालय आदेश के निरंतरता के क्रम में, यह परिचालित किया जाता है कि-

Consequent upon the bifurcation of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar, Patna into the Office of the Principal Accountant General/Accountant General (Audit-I), Bihar, Patna and the Office of the Principal Accountant General/Accountant General (Audit-II), Bihar, Patna, the deployment of officers/officials between Audit-I and Audit-II was done vide Office Order No. Admn.I(Audit)/office restructuring/2025-26/C-410 dated 18.03.2026. In continuation of that office order, it is, hereby, circulated that:

1. दोनों कार्यालय दिनांक 01.05.2026 से पृथक इकाइयों के रूप में कार्य करना प्रारंभ करेंगे। सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय आदेश संख्या Admn.I (Audit)/office restructuring/ 2025-26/C-410 दिनांक 18.03.2026 के अनुसार परिचालित नई व्यवस्था के तहत कार्य करना प्रारंभ करेंगे।

   The two offices will start functioning as separate entities w.e.f. 01.05.2026. All the officers/officials will start working as per new arrangement as circulated vide Office Order No. Admn.I (Audit)/office restructuring/2025-26/C-410 dated 18.03.2026.

2. सभी क्लस्टर्स/ए.एम.जी/विभाग तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा नियंत्रित शाखाएँ, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I), बिहार, पटना तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), बिहार, पटना के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आती हैं, वे कार्यालय आदेश संख्या PPG/PAG (Au)/Bifurcation/ADAI (ER)/2025-26/C-414 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार होंगी।

   The Clusters/AMGs/Departments and Senior Audit Officer controlled branches falling under the audit jurisdiction of O/o the PAG (Audit-I) Bihar, Patna and O/o the AG (Audit-II) Bihar, Patna will be as per Office Order No. PPG /PAG (Au)/Bifurcation/ ADAI (ER)/2025-26/C-414 dated 19.03.2026.

3. वैसे AIPA/PA/SSCA से संबंधित SAOs/AAOs अथवा अन्य कर्मचारी, जिनकी AAP 2025-26 की प्रारूप प्रतिवेदन मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है और जो अभी इस कार्यालय में प्रक्रियाधीन है, वे संबंधित सेक्टर/समूह अधिकारी तथा प्रतिवेदन अनुभाग से संबद्ध रहेंगे, जिनसे PA/SSCA/AIPA संबंधित है यथा-बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन पर PA, ई-प्रोक्योरमेंट 2.0 के IT–Audit पर PA, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर SSCA, जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न दाखिल (चरण-III) पर विभागीय पर्यवेक्षण संबंधी SSCA, आकांक्षी जिलों में बच्चों के पोषण संकेतकों पर SNP के प्रभाव संबंधी SSCA तथा अन्य PA/SSCA, यदि कोई हो। प्रारूप प्रतिवेदन मुख्यालय कार्यालय को भेजने के बाद, इन अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित कार्यालय (लेखापरीक्षा -I अथवा लेखापरीक्षा -II) में, जहाँ उन्हें कार्यालय आदेश दिनांक 18.03.2026 के अनुसार पदस्थापित किया गया है, कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः बुलाया जा सकता है।
किसी अन्य प्रतिवेदन सामग्री जैसे DP आदि से संबंधित SAOs/AAOs अथवा अन्य कर्मचारी वार्ता एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने हेतु बुलाए जा सकते हैं। मार्च 2025 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए, वर्तमान DP Cells एवं प्रतिवेदन अनुभाग प्रतिवेदनों से संबंधित सामग्री को अंतिम रूप देने हेतु प्रक्रिया में बने रहेंगे।
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा आवासीय विद्यालय/छात्रावासों के निर्माण संबंधी SSCA, जिसकी प्रारूप प्रतिवेदन मुख्यालय कार्यालय को भेजी जा चुकी है, के मामले में संबंधित SAO/AAO अथवा अन्य कर्मचारी को समूह अधिकारी/प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा वार्ता एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने हेतु बुलाया जा सकता है।

SAOs/AAOs or other staff related with the AIPAs/PAs/SSCAs for the AAP 2025-26, the Draft Report of which has not been sent to Headquarter office and is still under process in this office, will remain attached with the sector/Group Officer as well as Report section to which the PA/SSCA/AIPA pertain i.e. PA on Implementation of PM Awas Yojna (Urban) in Bihar, PA on IT–Audit of E-Procurement 2.0, SSCA on Construction and Maintenance of Bridges under Rural Works Department, SSCA on Department oversight on GST payments and Returns filing (Phase-III), SSCA of the 'Impact of SNP on Nutrition Indicators of Children in Aspiration District' and other PA/SSCA, if any. After sending the Draft Report to headquarter office, these officers/officials will be relieved to join the concerned office (Audit-I or Audit-II) where he has been posted as per office order dated 18.03.2026 and when required further, they may be called back again.
For any other Report material i.e. DP etc. the concerned SAOs/AAOs or other staff may be called back for discussion and finalisation of the Audit Report. For the Audit Reports ending March 2025, existing DP Cells and Report Sections shall continue to process the material related to the reports till finalisation.
In case of SSCA on Construction of Residential Schools/Hostels by Bihar State Building Construction Corporation, the draft report of which has been sent to headquarter office, the concerned SAO/AAO or other staff related with the SSCA may be called back by the Group Officer/Report Section for discussion and finalisation of the Audit Report.

4. AAP 2026-27 के लिए वैसे AIPA/PA/SSCA, जिनकी दलें AAP 2026-27 के मामले में समयसीमा का पालन करने हेतु अभी-अभी गठित की गई हैं, ऐसी टीमों का पुनर्गठन आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा -I

अथवा लेखापरीक्षा -II के अधिकारियों के साथ किया जाएगा तथा यह इस पर निर्भर करेगा कि विषय किस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

In case of AIPAs/PAs/SSCAs for the AAP 2026-27 where teams had just been constituted, to adhere to the timelines for initiation of the AIPAs/PAs/SSCAs for the AAP 2026-27, such teams would be reconstituted, as necessary, with officials of Audit-I or Audit-II, depending on which office's domain the topic falls under.

AAP 2026-27 के लिए जिन AIPA/PA/SSCA की दलें अभी तक गठित नहीं की गई हैं, उनके लिए दलें केवल उसी कार्यालय (लेखापरीक्षा -I अथवा लेखापरीक्षा -II) से SAO/AAO अथवा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर गठित की जाएँगी, जिस कार्यालय से AIPA/PA/SSCA सम्बंधित है।

In case of AIPAs/PAs/SSCAs for the AAP 2026-27 where teams have not been constituted till now, teams would be constituted by deploying SAOs/AAOs or other staff from that office (Audit-I or Audit-II) only to which the said AIPA/PA/SSCA relates.

5. संबंधित समूह अधिकारी और/या प्रतिवेदन अनुभाग आवश्यकता पड़ने पर AAP 2024-25 अथवा उससे पूर्व के AIPA/PA/SSCA से संबंधित SAO/AAO अथवा अन्य कर्मचारियों को चर्चा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने हेतु बुला सकते हैं, जिनकी प्रारूप प्रतिवेदन या बॉन्ड कॉपी मुख्यालय कार्यालय को भेजी जा चुकी है लेकिन अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है यथा- CFMS का IT Audit, GST पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट संबंधी Long para , खनन (लघु खनिज सहित) पर GST का आकलन, अधिरोपण एवं वसूली संबंधी PA, भूमि अधिग्रहण एवं alienation संबंधी DP, बिहार में DISCOMs द्वारा Reconductoring/ Re-strengthening संबंधी SSCA, बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) के क्रियान्वयन संबंधी PA या अन्य AIPAs अथवा प्रतिवेदन सामग्री। वार्ता के बाद संबंधित SAO/AAO अथवा अन्य कर्मचारी को उसके कार्यालय (लेखापरीक्षा-I अथवा लेखापरीक्षा-II) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुक्त कर दिया जाएगा।

The concerned Group Officer and/or Report Section, as and when required, may call the SAO/AAO or other staff related with the AIPAs/PAs/SSCAs for the AAP 2024-25 or before, the Draft Report or Bond Copy of which have been sent to Headquarter office but have not been finalised i.e. IT Audit of CFMS, Long para on Works Contract on GST, PA on Assessment, levy and collection of GST on mining including minor mineral, DP on Acquisition and Alienation of land, SSCA on Reconductoring/ Re-strengthening by DISCOMs in Bihar, PA on Implementation of 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in Urban Local Government in Bihar, AIPAs or any other Report material for discussion and finalisation of the Audit Report. After discussion, the concerned SAO/AAO or other staff will be relieved to join his office (Audit-I or Audit-II).

6. लेखापरीक्षा -II कार्यालय के मुख्यालय अनुभागों में पदस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभिन्न अभिलेखों के संधारण, विभिन्न दावों की प्रक्रिया, स्थापना संबंधी विषय, प्रशिक्षण एवं परीक्षा, प्रतिवेदन सामग्री की प्रक्रिया आदि के संबंध में *On-the-Job Training* का आयोजन लेखापरीक्षा -I कार्यालय के प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा -I कार्यालय के संबंधित अनुभागों के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

An on-the-Job training for all the officers/officials posted in headquarter sections of Audit-II office in respect of maintenance of different records, processing of various claims, establishment issues, training and examination, processing of report materials etc. will be arranged by the Training and Exam Section of Audit-I office by deploying staff of related section of Audit-I office.

7. लेखापरीक्षा -II कार्यालय के लिए DDO अभी तक नामित नहीं किया गया है। जब तक लेखापरीक्षा -II कार्यालय के लिए DDO नामित नहीं हो जाता और पृथक बजट आवंटन प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक लेखापरीक्षा -II कार्यालय के विभिन्न दावे लेखापरीक्षा -II कार्यालय के संबंधित अनुभागों द्वारा प्रक्रिया में लाए जाएँगे और अंतिम बिल केवल PAO को अग्रेषण हेतु लेखापरीक्षा -I कार्यालय के संबंधित अनुभाग को भेजा जाएगा। लेखापरीक्षा -I कार्यालय लेखापरीक्षा -II कार्यालय द्वारा संधारित और अग्रसारित इन बिलों पर कोई अतिरिक्त जाँच नहीं करेगा और DDO नामित नहीं होने के कारण केवल PAO को बिलों के प्रस्तुतिकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

DDO for Audit-II office has still not been designated. Till the DDO issue for Audit-II office is finalised and separate budget allotment for Audit-II office is started, different claims of Audit-II office will be processed by the concerned sections of Audit-II office and the final bill will be sent to concerned section of Audit-I office for just onward submission to PAO. Audit-I would not exercise any further check on the bills processed and forwarded by Audit-II and would only facilitate the submission of the bills to PAO, in the absence of designated DDO for Audit-II.

8. लेखापरीक्षा -II कार्यालय से संबंधित अनुभाग e-office, OIOS, बायोमेट्रिक उपस्थिति आदि के विषयों को ऑडिट-I कार्यालय के परामर्श से मुख्यालय कार्यालय के साथ आगे बढ़ाएँगे।

Concerned Sections of Audit-II office will pursue the matter of e-office, OIOS, biometric attendance etc. with headquarter office in consultation with Audit-I office.

9. यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है

This order issues with the approval of the Competent Authority.

ह०/-

Sr. Audit Officer/PPG

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एस एम् यू.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली |

2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा |

3.. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) बिहार, पटना का सचिवालय |

4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) बिहार, पटना का सचिवालय |

5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) बिहार, पटना का सचिवालय

6. सभी वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार का सचिवालय |

7. निदेशक/कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा-पटना |

8. उप लेखापरीक्षा निदेशक (रेलवे शाखा) पूर्व मध्य रलवे, हाजीपुर का सचिवालय, रेल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर, हाजीपुर |

9. निदेशक लेखा परीक्षा (रक्षा सेवाएँ), पटना का सचिवालय, राजेंद्रपथ, पटना |

10. निदेशक लेखापरीक्षा (F&C) पटना का सचिवालय, मार्ग संख्या-1, गर्दानिबाग,

11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सभी नियंत्री अनुभाग |

12. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस.-अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |

13. सूचना पट्ट |

२१ ९ २१
20/04/26

Sr. Audit Officer/PPG